न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 10/2019

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीपक्ष

1. आसुराम पुत्र मोतीराम
2. नेताराम पुत्र मोतीराम के कायम मुकाम

2/1. भंवराराम पुत्र नेताराम

2/2. भींयाराम पुत्र नेताराम

2/3. देवाराम पुत्र नेताराम

जाति जाट, निवासीगण दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर पंत्राक/शिविर/1084 दिनांक 25.07.2002 एवं टी डी आर/आदेश क्रमांक/राजस्व/ 02/4558 दिनांक 26.07.2002 एवं सनद संख्या 13 व 14/भूमि नियमन/02 दिनांक 17.07.2002 की पालनार्थ की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने बाबत्।

– – –

उपस्थिति

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री लाघूराम पूनिया अधिवक्ता (अप्रार्थी संख्या 1 ता 02)।

–: आदेश :– **दिनांक 17.03.2020**

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर पंत्राक/शिविर/1084 दिनांक 25.07.2002 एवं टी डी आर/आदेश क्रमांक/राजस्व/02/4558 दिनांक 26.07.2002 एवं सनद संख्या 13 व 14/भूमि नियमन/02 दिनांक 17.07.2002 के पालनार्थ में की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत हुई। राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14

(4) के तहत आवंटन/नियमन को निरस्ती हेतु विवादित आराजी खेत खसरा नं0 611 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा ग्राम दांतीवाडा भूमि किस्म गै0 मु0 जोड़ का आवंटन अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन किया गया जो विधि विरूद्ध है। आवंटन द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 728 दिनांक 25.07.2002 आवंटित आसुराम व नेताराम पुत्र मोतीराम जाति जाट के नाम से स्वीकार किया गया उक्त भूमि गै0 मु0 जोड़ की भूमि है, से व्यथित होकर राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश हुआ है।

प्रार्थना–पत्र मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2/1 से 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री लाघूराम पूनिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अभिलेख में केवल नामान्तरकरण संख्या 728 ग्राम दांतीवाड़ा की मूल प्रति प्राप्त हुई। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों में बतलाया कि विवादित आराजी खेत खसरा नं0 611 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा ग्राम दांतीवाडा भूमि किस्म गै0 मु0 जोड़ का आवंटन अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर किया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन अपने आप में विधि विरूद्ध है क्योंकि माफिक आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर पंत्राक/शिविर/1084 दिनांक 25.07.2002 एवं टी डी आर/आदेश क्रमांक/राजस्व/02/4558 दिनांक 26.07.2002 एवं सनद संख्या 13 व 14/भूमि नियमन/02 दिनांक 17.07.2002 में ऐसा कोई आधार स्पष्ट नहीं है जिसे विधिवत माना जाये।

प्रार्थी ने निरन्तर अपने तथ्यों में बतलाया कि विवादग्रस्त आराजी की किस्म गै0 मु0 जोड को तथाकथित रूप से बारानी दोयम दर्ज करते हुए आवंटित की गई जबकि किस्म प्रतिबंधित भूमियों वाली थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में दर्शाई गई है। प्रकरण में आवंटित आराजी कि किस्म मिसल बन्दोबस्त में गै0 मु0 जोड़ है इसी कारण ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने अपनी बहस में आगे कहा कि विवादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने के कारण इस आवंटित भूमि खसरा नं0 611 रकबा 12

बीघा 01 बिस्वा किस्म गै0 मु0 जोड़ होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 728 को निरस्त किये जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियमन/आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया है लेकिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न नहीं है व आवंटन सलाहकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश नहीं की है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर है तथा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी सलंग्न नहीं है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 30 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 32 के अनुसार यदि अपेक्षित प्रतिलिपियां ऐसे समय के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो दर्शाये गये पर्याप्त कारणों से न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त किया जाये, आपूर्ति नहीं की जाती है तो ज्ञापन अस्वीकार कर दिया जायेगा। अपनी बहस के समर्थन में RRT 2016(2) Page 769, AIR 1994 SC Page 1128, RRT 2016-17 Page 304, RRT 2018(2) Page 1007 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में भूमि खसरा नं0 611 को गै0 मु0 जोहड़ गलत बतलाया है, जबकि खतौनी बन्दोबस्त में उक्त खसरा की भूमि की किस्म बारानी दोयम दर्ज है तथा उसका लगान दर्ज है। जो भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन नियमन के लिये प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। भूमि आवंटन आदेश के बाद आवंटी को खातेदारी प्रदान कर दी गयी है, इस कारण भी उपरोक्त प्रार्थना–पत्र खातेदारी प्राप्त करने के बाद चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। उक्त आवंटन दिनांक 05.08.2002 को स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी ने लगभग 15 वर्ष बाद दिनांक 13.10.2017 को आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो मियाद बाहर है लेकिन प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थी पक्ष के इस कथन से हम सहमत है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर है। अतः

प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। द्वितीयतः प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 728 ग्राम दांतीवाडा की कॉलम संख्या 14 में अंकित उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक आ/स. स/शिविर/1084 दिनांक 25.07.2002 की पालना में तहसीलदार के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/ 4558 दिनांक 26.07.2002 के अनुसार व उपखण्ड अधिकारी के क्रमांक भूमि नियमन/02 दिनांक 17.07.02 सनद संख्या 13 व 14 के अनुसार नामान्तरकरण भरा गया। उक्त आदेश की मूल/प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपने प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न नहीं की है जबकि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2007 में खसरा नं0 611 कुल रकबा 13.01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम अंकित है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी दोयम होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल भाग 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत करने व सारहीन होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आवंटन आदेश में अंकित भूमि अन्य किसी नियमों व न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन करती है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को भिजवाया जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.06.17 12:17:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: